

कार्यालय प्रधानाचार्य पं. दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज, चूरु

website: www.education.rajasthan.gov.in/mcchuru

Email: - pdumcchuru@gmail.com, principal.mc.churu@rajasthan.gov.in Phone: - 01562- 251888

क्रमांक:-सामान्य/2020/1627

दिनांक:- 04-09-2020


कार्यालय आदेश

प्रधानाचार्य, सरदार पटेल आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर के पत्र क्रमांक 2980 दिनांक 03.09.2020 द्वारा की गई अभिशंषा के आधार पर निम्नलिखित चिकित्सकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित विशिष्टता में सीनियर रेजिडेंट पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से 01(एक) वर्ष (अधिकतम) की अवधि के लिये अस्थाई तौर पर (U.T.B.) निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है:-

क्र.सं.	चिकित्सक का नाम	विशिष्टता	पदनाम
1	Dr. Ajaypal	Gen. Surgery	Senior Resident
2	Dr. Priyanka Meena	Venereology & Leprosy	Senior Resident

शर्तें:-

- उक्त चिकित्सकों को आदेश जारी होने की तिथि से 10 दिवस में उपस्थिति प्रस्तुत करनी होगी। निर्धारित अवधि में कार्यग्रहण नहीं करने पर उक्त की गई नियुक्ति स्वतः ही समाप्त हो जावेगी।
- किसी भी MCI Inspection के दौरान अनुपस्थित रहने पर अथवा एगसीआई द्वारा उक्त पद हेतु अयोग्य घोषित किये जाने पर उक्त की गई नियुक्ति स्वतः ही समाप्त हो जावेगी।
- उक्त चिकित्सक शिक्षकों को कार्यग्रहण के समय से ही प्रतिदिन बायोगेट्रिक उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य है।
- उक्त चिकित्सकों को कार्यग्रहण करने के समय चरित्र प्रमाण पत्र, स्वस्थता प्रमाण पत्र (विधि चिकित्सक से) निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत कर देना होगा।
- उक्त चिकित्सकों को कार्यग्रहण करने की दिनांक से प्रतिमाह स्ट्राइपेण्ड के रूप में राजसेस के personnel's (Recruitment and other conditions) Employment Rules, 2017 के अनुसार भुगतान देय होगा।
- उक्त नियुक्ति के परिणामस्वरूप पढ़ने वाला वित्तीय भार स्ट्राइपेण्ड मद (आयोजना) में प्रभार्य होगा।
- उक्त चिकित्सकों 12 माह की अवधि में 12 दिवस का आकस्मिक अवकाश देय होगा। अतिरिक्त अवकाशों के लिये स्ट्राइपेण्ड देय नहीं होगा।
- उक्त चिकित्सकों किसी भी प्रकार की हड़ताल में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। शर्त भंग करने की अवस्था में संबंधित की नियुक्ति बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।
- उक्त चिकित्सकों का कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक नहीं पाये जाने पर संबंधित विभागाध्यक्ष की रिपोर्ट के आधार पर सेवार्थ तत्काल प्रभाव से बिना किसी नोटिस के समाप्त कर दी जायेगी।
- उपरोक्त चयनित चिकित्सक पूर्व में किसी सेवा में कार्यरत है तो संबंधित विभाग से कार्यमुक्ति आदेश या अनापत्ति प्रमाण पत्र कार्यग्रहण के दौरान प्रस्तुत करें।


प्रधानाचार्य
पीडीयू मेडिकल कॉलेज, चूरु

दिनांक:- 04-09-2020

क्रमांक:-सामान्य/2020/1627

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- श्रीमान् अति. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा राजस्थान जयपुर।
- श्रीमान् प्रधानाचार्य, सरदार पटेल आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर।
- पी.एम.ओ./अधीक्षक, डीबी अस्पताल, चूरु।
- सम्बंधित विभागाध्यक्ष.....।
- लेखा शाखा, कार्यालय हाजा।
- संबंधित रेजिडेंट.....।
- आदेश/रक्षित पत्रावली।


प्रधानाचार्य